न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—69/2015/75 (2015/00290)

1. गोविन्दराम पुत्र गोकुल, जाति गुजर, निवासी ग्राम बीर, तह0 व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेार, जिला अजमेर ।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये आयुक्त ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ 12सी/13/292 दिनांक 27.9.2013.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री रामकिशोर खदाव, वकील रेस्पो0 संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—24.6.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/राजस्व 12 सी/13/292 दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक कअ/राजस्व 12 सी/13/292 दिनांक 27.9.2013 के द्वारा ग्राम बीर, तहसील व जिला अजमेर के साबिक खसरा नंबर 151 वर्किंग खसरा नंबर 209 रकबा 63 बीघा भूमि को ग्राम की अन्य भूमियों के साथ अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम बीर तहसील व जिला अजमेर अवस्थित साबिक खसरा नंबर 151 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 209 रकबा 63 बीघा भूमि में से 5 बीघा भूमि पर अपीलांट तथा उसके पिता का पिछले 43 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त चला आने के आधार पर अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 23/2005 वास्ते खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा कमी आज्ञापप्ति व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 28/2005 गोविन्दराम बनाम राज0 सरकार उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे जिसमें आदेश दिनांक 16.3. 2005 से स्थगन आदेश आज दिवस तक प्रभावी है । उक्त स्थगन आदेश की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार, अजमेर के माध्यम से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर को रही है इसके बावजूद आदेश दिनांक 27.9.2013 पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया । विद्वान जिला कलक्टर का आदेश प्राकृतिक एवं नैसृर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट का वाद विचाराधीन होकर स्थगन आदेश प्रभावी रहते पारित हस्तातंरण आदेश धारा 52 सम्पति अन्तरण अधि0 में उल्लेखिक विधिक प्रावधानों से वर्जित एवं बाधित होकर निरस्त किये जाने योग्य है । राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में जिलाधीश द्वारा किसी भी भूमि को किसी भी विभाग/व्यक्ति के हक में आवंटन/यिमन/हस्तातंरित किये जाने से पूर्व विधिक प्रक्रिया के तहत राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति की जांच के साथ विवाद से संबंधित रिकार्ड भूमिधारक/तहसीलदार से तलब की जाती है परन्तु विवादित भूमि के संबंध में विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना जिला कलक्टर द्वारा एकपक्षीय प्रशासनिक आदेश से विवादित आराजी को रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित कर दिया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, अजेमर द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित शर्ते एवं निबन्धन संख्या 7 के तहत यदि किसी भूमि के बाबत् कोई वाद एवं स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है तो जिलाधीश द्वारा पारित आदेश प्रभावी नहीं करेगा । इस प्रकार विवादित भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन होकर स्थगन आदेश प्रभावी होने से अपीलाधीन भूमि के संबंध में पारित हस्तातंरण आदेश निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित हस्तातंरण आदेश दिनांक 27.9.2013 ग्राम बीर, तहसील व जिला अजमेर के खसरा नंबर 199 रकबा 0.08 है0 व खसरा नंबर 200 रकबा 0.80 है0 की हद तक निरस्त किये जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट का राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में विचाराधीन होकर स्थगन आदेश प्रभावी है । अपीलाधीन भूमि आदेश से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित हुए है जिससे वह पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के प्रशासनिक आदेश दिनांक 27.9.2013 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.2.2015 को हुई जब पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित कर नामांतकरण स्वीकृत किये जाने की जानकारी दी । उक्त

जानकारी होने पर अपीलांट ने अधिवक्ता से संपर्क कर आदेश दिनांक 27.9.2013 की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर प्रमाणित प्रति दिनांक 20.2.2015 को प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एव उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ने संयुक्त रूप से कथन किया कि विवादित भूमि सिवायचक होने से जिला कलक्टर, अजमेर ने अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित की है । हस्तातंरण आदेश की पालना में रेस्पो0 संख्या 2 के नाम नामांतकरण स्वीकृत हो चुका है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के हस्तातंरण आदेश में क्या त्रुटि है अपीलांट ने सिद्ध नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट का राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में विचाराधीन है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का विवादित भूमि के संबंध में राजस्व वाद अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में विचाराधीन है । इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.9.2013 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । चूंकि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांट को सुना नहीं गया था जिसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारंभ से अपीलांट को होना नहीं माना जा सकता है । न्यायहित में हम अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

10. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 27.9.2013 द्वारा अन्य ग्राम की भूमियों के साथ–साथ अपीलाधीन भूमियां भी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बीर के हाल खसरा 199 व 200 के साबिक खसरा नंबर 209 रकबा 63 बीघा राजस्व रिकार्ड में चारागाह सिवायचक दर्ज है । बरवक्त हस्तातंरण आदेश विवादित भूमि सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित की है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है । जहां तक विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट का राजस्व वाद विचाराधीन होने का प्रश्न है, उक्त वाद में होने वाले निर्णयानुसार अपीलांट कार्यवाही करने को स्वतंत्र है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है जिस पर नियमों में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के हस्तातंरण आदेश दिनांक 27.9. 2013 में क्या त्रुटि रही है जिसके आधार पर उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज

योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

11. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.9.2013 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 24.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर